राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ.1(5)परि/स्था/नवीन कार्या./2022/1443 जयपुर, दिनांकः– 20-1-23

आदेश

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 3 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर–द्वितीय उसके कार्यालय के संबंध में सरकार के वित्तीय नियमों के प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष घोषित करता हूं। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर–द्वितीय वित्तीय नियमों एवं समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन कार्यालयाध्यक्ष को प्रत्यायोजित समस्त वित्तीय एवं अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।

कर्तव्य एवं दायित्व सामान्यतया सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के विभिन्न उपबंधों में निर्धारित किये गये है। महत्वपूर्ण कर्तव्यों का सारांश परिशिष्ट–1 में दिया गया है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर–द्वितीय विशेष रूप से निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे :–

1. कोषागार में प्रस्तुत करने के लिए समस्त सरकारी कर्मचारियों के वैयक्तिक दावों संबंधी समस्त बिलों एवं आकस्मिक व्ययों के बिलों पर आहरण–वितरण अधिकारी के रुप में हस्ताक्षर करना;
2. समस्त प्राप्तियों एवं इस प्रकार आहरित निधियों में से किये गये भुगतानों का लेखा रखना तथा वैध रसीद लेकर उचित प्राप्तकर्ता को भुगतान करना तथा भुगतान करने के प्रमाणस्वरुप उसे अनुप्रमाणित करना;
3. रोकड पुस्तिका तथा समस्त लेखा पंजिका तथा अभिलेख, विशेष रूप से बिलों के भुनाने पर निगरानी रखने का रजिस्टर, बिल भेजने का रजिस्टर, अल्पकालीन अग्रिमो का रजिस्टर, आकस्मिक व्ययों का रजिस्टर, अग्रिम एवं समायोजनों का रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, दुविर्नियोग का रजिस्टर, आदि, चैकों, ड्राफ्टों, पोस्टल मनी आर्डर्स आदि की प्राप्ति, निपटान को दर्शित करने वाला रजिस्टर, आदि एवं पोस्टल मनीआर्डर्स/ ड्राफ्ट्स द्वारा किये गये भुगतानों का रजिस्टर रखना तथा संबंधित प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर करना;

4. वित्तीय नियमों, आदेशों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजनों के अनुसार आवर्तक एवं अनावर्तक आकस्मिक व्ययों को करना एवं आकस्मिक व्यय के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना;
5. सरकारी कर्मचारियों को दिये गये अस्थायी अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करना तथा निर्धारित समय के भीतर खर्च न किये गये अतिशेष (बैलेन्स) की वसूली को सुनिश्चित करना तथा उन पर इन नियमों में यथा – उपबंधित कार्यवाही करना; एवं
6. भण्डार की वस्तुओं को मितव्ययी रूप से प्राप्त करना तथा उनके उचित हिसाब एवं अभिरक्षा (कस्टडी) की व्यवस्था करना।

(कन्हैयालाल स्वामी)
परिवहन आयुक्त

क्रमांक: एफ.1(5)परि/स्था/नवीन कार्या./2022/1444-54 जयपुर, दिनांक:– 20-1-23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, परिवहन राज्य मंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार।
2. महालेखाकार, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राज., जयपुर।
8. कोषाधिकारी, जयपुर–शहर।
9. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर–प्रथम एवं द्वितीय।
10. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
एवं संयुक्त शासन सचिव

new E:\SK/new orders